न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2024 **दायर दिनांकः 22.02.2024**

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 20.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जिला बारा मे खाता संख्या 165 की खसरा नं0 930/1557 की 0.05 हेक्टर खसरा नं0 931 की 0.18 हेक्टर खसरा नं0 944 की 0.35 हेक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.58 हेक्टर आराजी प्रार्थी ओर उसके परिवार के शामलाती खाता दर्ज है जिसमे प्रार्थी की माता का नाम कंचन बाई पत्नी रामगोपाल दर्ज है। जबकी प्रार्थी की माता का नाम रामकन्याबाई है। प्रार्थी की माता का नाम परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक मे रामकन्याबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड़ ही दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी माता का राशन कार्ड ओर आधार कार्ड की फ़ोटो कापी ग्राम पंचायत पटना के सरपंच साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न किया है। जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है जिससे यह प्रमाणित होता है की प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम रामकन्या बाई ही है। इसलिय प्रार्थी अपने राजस्व रिकार्ड में हुए गलत नाम को दुरुस्त करा कर कंचन बाई के स्थान पर रामकन्या बाई पत्नी रामगोपाल दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी कि माता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी व उसके परिवार को बैंक व सहकारी संस्था से लोन लेने एंव अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:50 IST
Reason: SelfAttested

एंव सरकारी सहायताओ से वंचित होना पड़ रहा है जिससे प्रार्थी व उसके परिवार को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कि माता का नाम दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रार्थी कि माता का नाम ग्राम व माल महाराजपुरा तहसील अटरू के खाता संख्या 165 की कुल किता 3 का कुल रकबा 0.58 हे० के राजस्व रिकार्ड में कंचनबाई के स्थान पर दुरुस्त कर रामकन्याबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू दर्ज किया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3747 दिनांक 18.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— मृत्यु प्रमाण पत्र राम कन्या बाई, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा सम्वत 2075—78 खाता संख्या 165, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पटना सम्वत 2075—78 खाता संख्या 206, ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रामकन्या, राशन कार्ड रामचन्द्र, निर्वाचक नामावली 2018 भाग संख्या 229 ग्राम पटना व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जिला बारा मे खाता संख्या 165 की खसरा नं0 930/1557 की 0.05 हेक्टर खसरा नं0 931 की 0.18 हेक्टर खसरा नं0 944 की 0.35 हेक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.58 हेक्टर आराजी में सहखातेदार कंचन बाई पत्नी गोपाल के स्थान पर रामकन्या बाई उर्फ कंचन बाई पत्नी स्व. रामगोपाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:50 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जिला बारा मे खाता संख्या 165 की खसरा नं0 930/1557 की 0.05 हेक्टर खसरा नं0 931 की 0.18 हेक्टर खसरा नं0 944 की 0.35 हेक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.58 हेक्टर आराजी में सहखातेदार कंचन बाई पत्नी गोपाल के स्थान पर रामकन्या बाई उर्फ कंचन बाई पत्नी स्व. रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावें। प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर भी निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायचा जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:50 IST
Reason: SelfAttested